तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) रामकिशोर बनाम दुर्गा हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा०पत्र 251 RTA मु०नं० 53/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06.09.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज बाबत पुनः राजस्व रिकार्ड अनुसार मौका निरीक्षण किये जाने दिनांकित 09.02.2023 व प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति दिनांकित 13.02.2023 एव मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् एक साथ ही सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 14.09.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
14.09.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र एतराज बाबत पुनः राजस्व रिकार्ड अनुसार मौका निरीक्षण किये जाने दिनांकित 09.02.2023 व प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति दिनांकित 13.02.2023 पर एंव मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज बाबत पुनः राजस्व रिकार्ड अनुसार मौका निरीक्षण किये जाने दिनांकित 09.02.2023 व प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति दिनांकित 13.02.2023 का विस्तृत निर्णय मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में ही लिखाया जा चुका है। जिसमें वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र एतराज दिनांकित 09.02.2023 व प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति दिनांकित 13.02.2023 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किये जाते है। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रो के साथ ही मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का निर्णय भी पृथक से – लगातार –	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामकिशोर बनाम दुरगा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा. पत्र 251 KTH मु.नं.- 52/2021
	मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	14/09/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला – नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर ए एस)

मुकदमा नम्बर	:–	52 / 2021
जी0सी0एम0एस नम्बर	:–	2021 / 0341
दायर दिनांक	:–	13.12.2021
निर्णय दिनांक	:–	14.09.2023

उनवान प्रकरण

1 रामकिशोर पुत्र सुरजमल उम्र 53 वर्ष

2 तीजा देवी पत्नि सुरजमल उम्र 75 वर्ष समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र चौथू उम्र वर्ष
2. रामजीलाल पुत्र चौथू उम्र वर्ष
3. रामनिवास पुत्र चौथू उम्र वर्ष
4. कालूराम पुत्र ग्यारसा उम्र वर्ष
5. प्रहलाद पुत्र मंगला उम्र वर्ष
6. हरसाय पुत्र गंगु उम्र वर्ष
7. नर्बदा पत्नि भूराराम उम्र वर्ष
8. मालीराम पुत्र श्यामलाल उम्र वर्ष समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी पुरजीवाली मौजा ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
9. पटवारी पटवार हल्का दिवराला
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11 प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दिवराला

अप्राथीगण–

12 रामप्यारी पुत्री सुरजमल उम्र 62 वर्ष

13 कमला पुत्री सुरजमल उम्र 60 वर्ष

14 शौभाग पुत्री सुरजमल उम्र 58 वर्ष

15 रोहिताश पुत्र सुरजमल उम्र 56 वर्ष

16 मिश्री उर्फ पिंकी पुत्री सुरजमल उम्र 42 वर्ष समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

– तरतीबी अप्रार्थीगण–

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एंव सपठित धारा 151 सीपीसी ::–

उपस्थितिः–

1. श्री विक्रम सिंह बांकावत, अभिभाषक –प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की ओर से।
3. तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 10 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2561 रकबा 1.11 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ... है। जिसके प्रार्थीगण एवं तरतीबि अप्रार्थीगण रिकोर्डेड काबिज ... है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के हिस्सा 1/7 – 1/7 भाग की खातेदारी प्रार्थीगण के एवं हिस्सा 1/7 – 1/7 भाग की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 16 के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। जिसमे प्रार्थीगण के पुख्ता मकान बनाकर मय परिवार निवास करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि मे उक्त हिस्सानुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि होकर प्रार्थीगण उक्त भूमि पर सलग्न नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है एवं मकानात आदि बनाकर पूर्णतया काबिज एवं आबाद है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 2561 में आवागमन का 16 फुट चौडाई का रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 2550 से होता हुआ उक्त गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 2550 की दक्षिणी तरफ भूमि खसरा नम्बर 2552 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे होता भूमि खसरा नम्बर 2556 की पूर्वी व दक्षिणी सींव के सहारे सहारे होता हुआ गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 2555 में मिलता है। जो कि आगे चलकर सडक मार्ग खसरा नम्बर 2489 में मिल जाता है। उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2552 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम एवं भूमि खसरा नम्बर 2555 की खातेदारी हिस्सा 1/10 अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के मृत्तक पिता चौथुराम पुत्र गंगुराम, हिस्सा 1/10 भाग की अप्रार्थी संख्या 4, हिस्सा 1/10 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 5 के मृत्तक पिता मंगलाराम पुत्र गंगुराम, हिस्सा 1/10 भाग की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 6 के नाम, हिस्सा 1/10 भाग की खातेदारी अप्रार्थीया संख्या 7 के नाम, हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। उक्त दर्शीत रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता है। जिसको प्रार्थीगण व अन्य पडौसी काश्तकारान व ग्रामीण अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के रूप में उपयोग लेते चले आ रहे है। वक्त बुजुर्गान से उक्तानुसार प्रचलित रास्ता चला आकर उक्त रास्ता कदीमी रास्ता है [illegible] सामान्य आवागमन करते है तथा उक्त रास्ते [illegible] लिए [illegible] वाहन, मवेशी, पानी के टैंकर आदि का आवा[illegible] प्रार्थीगण की अपनी भूमि मे आवागमन का उक्त रास्ता एकमात्र रास्ता है। [illegible] के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का नही है। उक्त रास्ता पूराने राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23 (दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मे डोटेड बिन्दुओ के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है परन्तु बाद मे राजस्व रिकार्ड की डिजीटलाईजेशन प्रक्रिया के दौरान उक्त डोटेड बिन्दुओ के रूप मे प्रचलित चले आ रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड से हटा दिया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 काफी चालाक व बदमाश किस्म के षडयंत्रकारी व्यक्ति है। जिन्होने एक नाजायज गिरोह प्रार्थीगण व अन्य जनसामान्य को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग से रोकने व वंचित करने के दुराशय से बना रखा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2552 व 2555 मे उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने का बैजा एवं अवैध फायदा उठाकर प्रार्थीगण व अन्य जनसामान्य का आवागमन उक्त अप्रार्थीगण की भूमियों से नही हो इसके लिये उक्त प्रचलित रास्ते को फसल काश्त करने की आड में अवैध तरीके से बंद कर देते है। जिसकी बार बार शिकायते राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को की गई है। फसल काश्त करने की आड में उक्त प्रचलित रास्ते पर अतिक्रमण करके बन्द करने के कारण उक्त रास्ते से प्रार्थीगण एवं अन्य जनसामान्य का आवागमन बंद हो जाता है, जिसके कारण प्रार्थीगण एवं जनसामान्य को काफी परेशानी का सामना करना पडता है तथा अपने व पशुओं के पीने के लिये पानी का टैंकर तक नही आ सकता। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2552 व 2552 में उक्त रास्ता नही कटा हुआ। जबकि उक्त दोनो खसरा नम्बर के दोनो तरफ अर्थात् उत्तरी व दक्षिणी दिशा की तरफ गैर मुमकीन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में रास्ता कटा हुआ है। पिछले कुछ दिनो से अप्रार्थीगण एकराय होकर उक्त रास्ते को बंद करने पर आमादा हो रहे है तथा उक्त रास्ते में निर्माण आदि करके उक्त रास्ते से प्रार्थीगण व जनसामान्य का आवागमन एकदम बंद करने पर आमादा हो रहे एवं ताकत के बल पर प्रार्थीगण के आवागमन व उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग मे मजाहमत पैदा कर रहे है। [illegible] अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त [illegible] नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी हैरानी [illegible] तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि के समुचित उपयोग उपभोग, फसल काश्त आदि करने में अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे बैजा एवं अवैध कृत्य के चलते प्रार्थीगण का आवागमन बाधित हो रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23 (दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

है। उक्त वर्णित एवं संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शीत रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का एकमात्र प्रचलित कदीमी रास्ता है तथा काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लघुतम रास्ता भी है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का नही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2552 व 2552 मे उक्त रास्ता नही कटा हुआ। जबकि उक्त दोनो खसरा नम्बर के दोनो तरफ अर्थात् उत्तरी व दक्षिणी दिशा की तरफ गैर मुमकीन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में रास्ता कटा हुआ है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से प्रार्थीगण को काफी हैरानी परेशानी हो रही है। उक्त रास्ता भूमि को प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के विधिक अधिकारी है एवं उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित एवं संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शीत रास्ता को अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के विधिक अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2561 रकबा 1.11 है0 अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में आवागमन एवं रास्ते की भूमि के रूप में प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 4 में वर्णित एवं संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित 16 फुट चौडाई का रास्ता जो गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 2550 से होता हुआ उक्त गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 2550 की दक्षिणी तरफ से भूमि खसरा नम्बर 2552 की पश्चिमी सींव के सहारे – सहारे होता भूमि खसरा नम्बर 2556 की पूर्वी व दक्षिणी सींव के सहारे – सहारे होता हुआ गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 2555 में मिलता है, को गैर मुमकीन रास्ता भूमि [illegible] राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में इन्द्राज करने [illegible] को प्रदान करे उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में गैरमुमकिन रास्ता अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/02/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 उपस्थित आये एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली जाने हेतु प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र मे जॉच रिपोर्ट चाही जाने बाबत लिखा गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 1230/राजस्व/2022 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट पर वकील अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.02.2023 को एक प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार की रिपोर्ट को निरस्त की जाकर अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका कमिश्नर पुनः राजस्व रिकार्ड अनुसार मौका देखा जाकर मौका रिपोर्ट पेश करने बाबत प्रस्तुत किया गया एंव पुनः दिनांक 13.02.2023 को प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिनकी प्रतिलिपियॉ वकील प्रार्थीगण को दिलाई जाने पर वकील प्रार्थीगण ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का दिनांक 02.08.2023 को जवाब पेश किया गया। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील वकील अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्रों दिंनाकित 09.02.2023 व 13.02.2023 में वर्णित कथनों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा गलत रिपोर्ट न्यायालय मे पेश कर [illegible] रास्ता मुख्य सडक से [illegible] के रूप में खसरा नम्बर नहीं होना अंकित किया [illegible] अंकित किया है। 2550 से होकर अन्य [illegible] रास्ता होना [illegible] चाहे जाने वाला रास्ता उक्त जबकि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2561 के [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कृषि भूमि के सीवजीक खसरा नम्बर 2550 से होकर खसरा नम्बर 2595 मे गैर मुमकिन रास्ता के रूप में मौजूद होकर निरन्तर निर्बाध रूप से रास्ता के उपयोग हेतु उपलब्ध होकर खसरा नम्बर 2550 को जोड़ता है। जो मौके पर वर्तमान में चालू है। जिसका अंकन तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट बाबत आपत्ति पेश की जा चुकी है। उसे दुबारा मंगवाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने राजस्व रिकार्ड के विपरीत रिपोर्ट पेश की है, जो विधि के प्रावधानों के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आती है। जिस बाबत विधि सम्मत आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि उक्त रास्ता के मध्य में भूमि खसरा नम्बर 2556 किस्म गै0 मु0 चाह होने से रास्ते हेतु प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष भी विधि के प्रावधानों के तहत दिया जाना सम्भव नहीं होने से वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) खारिज फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया हैं।

वही दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत तरीके से मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपनी रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश की है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थीगण की अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मुख्य सडक से नही है तथा प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता मुख्य सडक से निकटतम दुरी पर है जो कि खसरा नम्बर 2552 की खातेदारी भूमि में से हैं। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका निरीक्षण नही करवाया जा सकता। अप्रार्थीगण द्वारा मात्र साक्ष्य एकत्रित करने [illegible] से उक्त प्रार्थना पत्र पेश व प्रकरण की सुनवाई [illegible] खारिज [illegible] जाना न्यायहित में आवश्यक किया गया हैं। जो [illegible] आपत्ति का है। अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) प्रार्थना पत्र उन्ही समान तथ्यों व आधारो [illegible] किया है। इसलिये अप्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की उक्त तथाकथित प्रारंभिक आपत्ति का निस्तारण उक्त मूल प्रकरण के निस्तारण के साथ ही विधि सम्मत तरीके से हो जायेगा। समान तथ्यों व आधारो की आपत्तियो को न्यायालय द्वारा अलग-अलग स्तर पर या बार-बार निस्तारण किया जाना कतई वैधानिक नही होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। यहा उल्लेखनीय है कि अजीतगढ – श्रीमाधोपुर सडक मार्ग से चालू होकर उक्त रास्ता प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक आता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे सडक मार्ग से आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है तथा यह रास्ता लघुत्तम रास्ता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण मे मात्र देरीना करने, प्रकरण की सुनवाई को विलंबित करने व प्रकरण में अनावश्यक रूप से पेचिदगिया उत्पन्न करने के लिए उक्त प्रार्थना पेश किया है। जो सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमनें वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों एतराज प्रार्थना पत्रों व प्रारंभिक आपत्ति पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान दी गई दलीलों पर सगौर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, पटवारी हल्का रिपोर्ट, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिषंशा रिपोर्ट वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ऐतराज व प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्रों व वकील प्रार्थीगण द्वारा जवाब इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि भूमि खसरा नम्बर 2561 में कृषि कार्य के आवागमन हेतु रास्तें की आवश्यकता होना प्रतित होता हैं। जो वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर के लगते हुए खसरा नम्बर 2550 व 2595 मे चल रहे रास्ता जिनकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर नक्शा ट्रेस मे उक्त रास्ते का कटा होना प्रकट होता है। य[illegible] अन्य खसरा नम्बरान मे से होकर के गांव के [illegible] 2561 मे जाने के लिए प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2550, [illegible]56 मे से होकर उनके लगते हुए खसरा नम्बर 2555 मे से जा रहे रा[illegible] जो मुख्य सडक अजीतगढ से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर जाने वाली सडक को जोडता है, से रास्ता आत्यान्तिक लघुत्तम होने से तथा खसरा नम्बर 2550 व 2555 की किस्म पहले से गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उक्त रास्ते की मांग किया जाना तथा भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रार्थीगण को उक्त रास्ता दिए जाने हेतु अभिशंषा किए जाने से उक्त रास्ता सर्वाधिक लघुतम होने से प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जहां तक भूमि खसरा नम्बर 2556 जिसकी किस्म गैर मुमकिन चाह होने तथा उक्त चाह के वर्तमान मे उपयोग–उपभोग में नहीं आने से उक्त चाह के रूप में काम में आने वाली भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि में रास्ते को मुख्य सडक से जोड़ते हुए तथा खसरा नम्बर 2555 को 2552 से जोड़ने हेतु नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित की गई भूमि की सीमा तक उक्त रास्ता प्रार्थीगण को दिलाया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थीगण श्री दिनेश सिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2023 बाबत पुनः मौका देखे जाने तथा प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति दिनांक 13.02.2023 को स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाए जाने पर खारिज किये जाते हैं।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भू. अभिलेख निरीक्षक दिवराला व पटवारी हल्का दिवराला की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मुख्य सड़क से नहीं हैं। अन्य वैकल्पिक रास्ता भूमि खसरा नम्बर 2550 से होकर अन्य की खातेदारी से होकर गुजरता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मुख्य सडक से निकटतम दूरी पर है जो भूमि खसरा नम्बर 2552 की खातेदारी भूमि में से हैं। प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा पक्षकारान् के मध्य आपसी राजीनामा से सहमति न... प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2561 ... हेतु भूमि खसरा नम्बर 2550, 2552, 2555, 2556 में से रास्ता चाहा गया है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2550 रकबा 0.13 हैक्टर, 2555 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक एंव खसरा नम्बर 2556 रकबा 0.03 हैक्टर गै0 मु0 चाह दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2552 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म चाही 1 [illegible] पुत्र ग्यारसी लाल, प्रहलाद पुत्र मंगला वगै0 जाति अहीर के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 2552 की पश्चिमी सीमा होकर रास्ता 180 x 4 = 720 वर्गमीटर आती है। जिसकी बाजार दर 1691008/– रुपये प्रति हैक्टर की दर से मूल्यांकन राशि 121753/– रुपये बनती है। जिसकी दुगुनी मूल्यांकन राशि 243506/– रुपये बनती है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 2550 गै0 मु0 रास्ता को उत्तर दिशा में एव दक्षिण दिशा खसरा नम्बर 2555 गै0 मु0 रास्ता को जोडकर मुख्य दिवराला–अणतपुरा सडक को जोडता है। उक्त रास्ते के मध्य में भूमि खसरा नम्बर 2556 किस्म गै मु वाह होने से रास्ते हेतु प्रस्तावित नही किया गया है। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते के रूप में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दर्शाया गया है। वकील प्रार्थीगण ने उक्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए उसी अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किया गया है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 – (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण की बहस बहुपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी। बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिवराला, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट मय प्रस्ता[illegible] सी0 एल0 सी0 दरो इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। [illegible] कन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण [illegible] 1.11 हैक्टर में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 2550 से [illegible] हुआ उक्त गैर मुमकीन रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी

की दक्षिणी तरफ से भूमि खसरा नम्बर 2552 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 2556 की पूर्वी व दक्षिणी सींव के सहारे सहारे होता हुआ गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 2555 के गैर मुमकीन रास्ते को जोडता है से रास्ता उपलब्ध कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। उक्त खसरा नम्बर 2561 में आवागमन हेतु एकमात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 2550, 2552, 2556 व 2555 में से होना प्रकट होता है। इसके अलावा एक ओर अन्य वैकल्पिक रास्ता जो भूमि खसरा नम्बर 2550 से लगते हुए खसरा नम्बर 2561 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 2595 में गैर मुमकीन रास्ता के रूप में मौजूद होकर आगे अन्य ढाणियों में जाता हुआ मुख्य ग्राम के कांकड से बाहर की ओर जाकर काफी लम्बा रास्ता होना प्रकट होता है। जो ग्राम की मुख्य आबादी के आवागमन की मुख्य सड़क को नहीं जोडता है। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मुख्य सड़क अजीतगढ से श्रीमाधोपुर जाने वाले रोड़ से केवल मात्र दो खसरा नम्बर छोड़कर होना प्रकट होता है। जो आवागमन की दृष्टि से अत्यन्त लघुत्तम व निकटतम रास्ता होना प्रकट होता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों / साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। जिसके तहत प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया [illegible] की चौडाई में वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 [illegible] कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए [illegible] द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से [illegible]त किया गया है को प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध मे 16 फुट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अत ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नही होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सड़क व मुख्य आबादी से निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग मे आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार [illegible] देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसी[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] मानीय न्यायालय राजस्व प्रकरण [illegible] /टी.ए/जयपुर/2021/1765 मण्डल राजस्थान अजमेर में एक नि[illegible]

उपखण्ड अधिकारी

14/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उनवानी कृष्ण कुमार बनाम जयप्रकाश वगै0 विचाराधीन होना प्रकट होता है। उक्त निगरानी प्रार्थीगण जयप्रकाश वगै0 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में सुखाधिकार के तहत तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष पेश किये जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 31.08.2020 के द्वारा अस्वीकार किये जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के यहां पेश की जाने पर प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर से वादग्रस्त आराजीयात के मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने के दिनांक 25.02.2021 को आदेश पारित किये जाने के विरूद्ध उक्त निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत किया जाना प्रकट होती है। जो अन्य प्रार्थीगण के द्वारा सुखाधिकार के तहत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रकरण में अप्रार्थीगण कृष्ण कुमार व प्रहलाद सहाय के द्वारा दिनांक 05.06.2023 को अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगणों द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश कर दिये जाने से प्रकरण में सुनवाई की जाकर किसी प्रकार का विधिक आदेश जारी किया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रशासन गांवों के संग महँगाई राहत कैम्प में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाकर आगामी तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया गया था। जिसकी पालना में प्रशासन गांवों के संग महँगाई राहत कैम्प में आगामी तारीख पेशी दी जा चुकी थी। प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में आदेशिका की प्रति जिसमें आगामी [illegible] 2023 नियत थी तक की प्रति फोटोप्रति पेश की गई थी। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा आदिनांक तक उक्त [illegible] 251 [illegible] आर0 टी0 एक्ट [illegible] किये जाने बाबत कोई आदेश इस को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत कोई आदेश इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है।

—ः क्रियात्मक आदेश ः—

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2561 रकबा 1.11 हैक्टर में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 2550, 2552, 2555, 2556 में से चाहे गये रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 2552 व खसरा नम्बर 2556 में से रास्ते के रूप में आने वाली भूमियों का वर्तमान बाजार दरों से मूल्यांकन राशि की गणना की जाकर उसकी दुगुनी मूल्यांकन राशि राजकोष में जमा की जानी है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 2550 गै0 मु0 रास्ता को उत्तर दिशा में एवं दक्षिण दिशा खसरा नम्बर 2555 गै0 मु0 रास्ता को जोडकर मुख्य दिवराला–अणतपुरा सडक को जोडते हुए उक्त रास्ते के मध्य में भूमि खसरा नम्बर 2556 जिसकी किस्म गैर मुमकिन वाह होने तथा उक्त वाह के वर्तमान में उपयोग–उपभोग में नहीं आने से उक्त वाह के रूप में काम में आने वाली भूमि को छोडते हुए शेष भूमि में रास्ते को मुख्य सडक से जोडते हुए उक्त रास्ता प्रार्थीगण को नजरी नक्शा मय नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट में दर्शित 16 फुट चौडाई की भूमि, को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible] भूमियाँ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 किया जावें। चूंकि रास्त[illegible] [illegible]दारों से (रकबा रास्ता कम रास्ता दर्ज होने के [illegible] उक्त भू[illegible] [illegible] के बाद) खाते[illegible] [illegible] प्रार्थीगण को संलग्न नजरी तहसीलदार श्री[illegible]पुर [illegible] भूमि खसरा नम्बर 2552 व 2556 में दिय नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार

उपखण्ड अधिकारी

14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्यांकन राशि का आकलन कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Sd/- 14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 14.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.18 11:34:24 IST
Reason: SelfAttested

Sd/- 14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)